न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/255 (255/2021)

संदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र आयु 33 वर्ष जाति जाट, निवासी मकान नं. बी–100 सैक्टर नं. 6 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 8 डीएलपी तहसील व जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी

2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया
आदेश दिनांक 24.11.2021, प्र. सं. 17/2021
उनवान कृष्ण कुमार बनाम संदीप आदि

श्री लालचन्द्र वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री रविन्द्र कुमार भाबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 व 3

निर्णय दिनांक 13.06.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में अपनी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की चक 1 डीएलपीडी के खाता सं0 84/54 के प. नं. 132/186 मु0 न0 के किला नं. 22 की भूमि में कि. नं. 23 के चिपते हुए 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। विचारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली अपीलाण्ट व शेष रेस्पोडेण्ट की तामील हेतु दिनांक 28.10.2021 नियत होने के बावजूद अपीलाण्ट की तामील के बिना ही कतई गलत व मनमाना रूप से प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 अमरपुरा जालू में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट कभी भी चक 12 एमओडी पिलानिया वाली ढाणी में नहीं रहा बल्कि सदैव से सैक्टर नंबर 6 हनुमानगढ जंक्शन में निवास करता है तथा जिला परिषद हनुमानगढ में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य प्रश्नगत खाता के कब्जा काश्त के संबंध में काफी अर्सा से विवाद चल रहा है तथा विवाद के चलने की वजह से ही इस खाता का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, इस तथ्य की तरफ अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 का अपीलाण्ट सं0 1 के खाता 84/54 में अवस्थित भूमि में से आवागमन नहीं रहा है। रेस्पो0 सं0 1 ने खाता संख्या 89/65 में अपनी कब्जा की मिथ्या साक्ष्य गढने के लिए कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से रास्ता की मांग की है जबकि ना तो उसे प्रश्नगत रास्ता की आवश्यकता है व ना ही कानूनन वह संयुक्त खाता के लिए रास्ता की मांग कर सकता है। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता विद्यमान है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पेडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेण्ट सं0 1 को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना, रास्ते की भौतिक आवश्यकता होने की रिपोर्ट आई। उभयपक्षों को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:45 IST
Reason: SelfAttested

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के धारा 251 –क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलाण्ट की भूमि चक 12 एमजेडी के खाता संख्या 84/54 के प. नं. 132/186 मु0 नं0 57 के किला नं. 22 में किला नं. 23 से चिपते हुए 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। उसकी तलबी नहीं करवाई गई है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प अमरपुरा जाली मं केवल मात्र प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित आये थे और तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट की भूमि में रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। अपीलाण्ट की भूमि में रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुना जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2021 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के अंतिम निर्णय तक रास्ता के संबंध में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:45 IST
Reason: SelfAttested

13/6/22
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)